राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2095/2025

गुलाब सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव–ाा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4. रामदयाल विजय, सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.02.2025
आदेश की दिनांक : 11.03.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग के ओर से : श्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति धरियावद जिला प्रतापगढ़ में किया गया है। उक्त आलौच्य आदेश दिनांक बिना प्रशासनिक आवश्यकता के प्रत्यर्थी संख्या–4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से जारी किया गया है। उक्त आलौच्य आदेश की पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.01.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी से वर्ष 2024 में गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित रहने के लिए विकल्प पत्र मांगा गया था। अपीलार्थी ने अपने विकल्प पत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित रहने के लिए विकल्प पत्र दिया है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी का वर्तमान मूल पद कनिष्ठ अभियंता ही है और अपीलार्थी वर्तमान में अधीनस्थ सेवा का कर्मचारी है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण गैर–अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण किया गया है। उक्त आलौच्य

आदेश Rajasthan Scheduled Area Subordinate, Ministerial and Class-IV Service (Recruitment and Other Service Conditions) Rules, 2014 के नियम 31 की अवहेलना में जारी किया गया है। आलोच्य आदेश से अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला प्रतापगढ़ में किया गया है और विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.5.2018 में प्रतापगढ जिलें को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है (अनुलग्नक–5)। माननीय उच्च न्यायालय ने डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश में किसी कार्मिक का समंजित करने के आशय से जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश को अनुचित एवं अवैध माना है। माननीय अधिकरण ने अपील संख्या 384/2025 बृज मोहन सिहाग बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य में पारित आदेश में गैर–अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में किये गये स्थानांतरण आदेश को अनुचित एवं विधि विरुद्ध मानते हुए अपास्त किया गया है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी की पत्नी के मस्तिष्क से संबंधित बिमारी है जिसका निरंतर उपचार चल रहा है। अपीलार्थी के अलावा उसकी देखभाल करने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अपीलार्थी की पत्नी के बिमारी के दस्तावेजात अनुलग्नक–7 पर उपलब्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 21.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 21.01.2025 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर से पंचायत समिति धरियावद जिला प्रतापगढ़ किया गया है। हम पाते है कि अपीलार्थी सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने स्वयं अपील में एवं पदस्थापन प्रारूप में सहायक अभियंता दर्शित किया है एवं वर्ष 2021 से सहायक अभियंता की शक्तियों का उपयोग एवं उपभोग कर रहा है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजित करने का प्रश्न है इस प्रकरण में हम निजी प्रत्यर्थी को समंजन करने का कोई तथ्य नहीं पाते है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब और कहां लेवे। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर अभ्यावेदन देने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

आलौच्य आदेश में कोई दुर्भावना निहित होना या नियम विरूद्धता होना नहीं पाये जाने के कारण अपील अपीलार्थी इसी प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य